



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya
(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University established by Parliament by Act No. 3 of 1997)
नेक द्वारा 'A' ग्रेड प्राप्त Accredited with 'A' Grade by NAAC

कादर नवाज़ ख़ान
कार्यकारी कुलसचिव
Kadar Nawaz Khan
Acting Registrar



दूरभाष/Phone : +91-7152-230902
फैक्स/Fax: + 91-7152-247602

क्रमांक: 003 / 2021 / को.-19 / 327-06 / 2022
दिनांक : 10.01.2022

परिपत्र

समस्त विद्यार्थियों को अवगत कराया जाता है कि महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में बढ़ते कोविड 19 संक्रमण के मद्देनजर छात्रावास बंद करने के आदेश जारी किये हैं। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखत हुए, पी-एच.डी. शोधार्थियों को छोड़कर समस्त विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अपने स्वास्थ्य हित में छात्रावास छोड़कर अपने गृहनगर प्रस्थान करें। स्थितियाँ सामान्य होने पर उन्हें वापस छात्रावास में आने की अनुमति प्रदान की जायेगी।

इसे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

कादर नवाज़
(कुलसचिव)
10/01/22

प्रतिलिपि (ई-मेल द्वारा) :

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति द्वय कार्यालय
3. सभी अधिष्ठाता, विभागाध्यक्ष, केंद्र निदेशक
4. कुलानुशासक
5. समस्त छात्रावास अधीक्षक
(इस अनुरोध के साथ कि संबंधित छात्रावास के अंतवासियों को सूचित करें)
6. विश्वविद्यालय वेबसाइट
7. संबंधित पत्रावली